तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
16/4/25	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी वास्ते अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 30/4/25 को पेश हो।
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी जवाब बंद आईन्दा दिनांक की स्थिति में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली दि० 02/5/25 को पेश हो।
2.5.25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया नकल वकील प्रार्थी को दी गई। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दि० 2.6.25 को पेश हो।
2/6/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस हेतु अवसर चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दि० 9/6/25 को पेश हो।
9/6/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11-6-25 को पेश हो।
11-6-25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

AAP-A
Crim-I

अदालत ....

मुकाम ....

मुकदमा मुकेन्द्र चौथ्थ्यो पुत्र जगदीश आदि बनाम देवीलाल पन्नीराम आदि

प्रार्थना पत्र नं. 192 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम रामला की आ० न० 1824/6 रकबा 2.5028है० प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 की संयुक्त खातेदारी की होकर इसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है परन्तु विभाजन नहीं होने से अप्रार्थी जबरन प्रार्थी के कब्जे की भूमि को हड़पना चाहता है व विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि को अंग मेहनत कर उपजाऊ बनाया है। विभाजन का वाद विचाराधीन है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं० 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह विभाजन के वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे काश्त में दस्तन्दाजी नहीं करे तथा किसी अन्य को रहन बय विक्रय नहीं करे। बहस में वकील अप्रार्थी सं० 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी मुन्द अप्रार्थी जवाहरलाल एवं चौथू उर्फ चौथमल की संयुक्त खातेदारी की थी। इसका विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन का वाद स्वीकार होकर अन्तिम डिक्री हो चुकी है परन्तु विभाजन कब्जे अनुसार नहीं किए जाने तथा विभाजन तहसीलदार द्वारा नहीं किए जाने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	से माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा में अपील संख्या 203/19 पेश की जो विचाराधीन है ऐसी स्थिति में एक आराजी के सम्बन्ध में विभाजन का वाद दो न्यायालयों में चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययोपरान्त यह जाहिर आया कि ग्राम रायला की आ०नं० 1824/6 रकबा 2.4028 हैक्टर भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 में देवी पुत्र धन्नीराम 1/2 जाट, भूपेन्द्र चौधरी पिता जगदीश प्रसाद 1/2 जाट के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज होना सिद्ध होता है जिसके सम्बन्ध में इसी न्यायालय में एक विभाजन का वाद संख्या 75/2001 (75/2002) बउनवान चौथू उर्फ चौथमल बनाम देवीजाट के मध्य निर्णय दि० 26/8/2003 से अन्तिम डिक्री हुआ। उक्त वादपत्र में अन्य आराजीयात के साथ आ०नं० 1824/6 भी विभाजन में प्रस्तावित थी। उक्त विभाजन प्रस्ताव। अन्तिम डिक्री से अप्रार्थी सन्तुष्ट नहीं होने से अप्रार्थी देवीजाट ने माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है इसकी पुष्टि में अप्रार्थी ने अपील मीमो व RAA भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या अपील/टीए/203/2019 की आदेशिकाओं की फोटो प्रति पेश की जिसके अनुसार प्रकरण/अपील वर्तमान में विचाराधीन होना सिद्ध होता है। स्वयं प्रार्थी के द्वारा भी आ० नं० 1824/6 के विभाजन हेतु वाद पेश किया है

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

.... मुकाम ....

.... बनाम ....

...ना प्रार्थना पत्र नं. 192 सन् 2024

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	और इसी सम्बन्ध में विभाजन का वाद पूर्व में प्रस्तुत होकर निर्णित हो चुका है ऐसी स्थिति में अब प्रकरण उच्च न्यायालय में अपील होकर विचाराधीन है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा	